

सूचना का अधिकार अध्याय 1

प्रस्तावना/विभागीय परिचय

प्रदेश के चंडमुखी विकास हेतु राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों, पुलों एवं विभिन्न प्रकार के आवासीय, अनावासीय, बहुमंजिला भवनों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक निर्माण विभाग तथा उससे सम्बन्धित उपक्रम यथा 30 प्र० राजकीय निर्माण निगम प्रदेश व देश के विकास की धारा को आगे ले जाने वाली अग्रणी एवं मुख्य संस्थायें हैं।

लोक निर्माण विभाग वर्तमान में प्रमुखतः निम्न कार्यों का सम्पादन करता है :-

- नवीन मार्गों का निर्माण ।
- वर्तमान मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण ।
- सभी प्रकार के मार्गों का अनुरक्षण, सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत ।
- मार्गों पर 60 मीटर से कम लम्बाई के पुलों/पुलियों आदि का निर्माण/पुनर्निर्माण ।
- जर्जर पुलों की पुनर्स्थापना एवं नवनिर्मित पुलों के पहुंच मार्गों का निर्माण ।
- पी० एम० जी० एस० वाई० के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल में सम्पर्क मार्गों का निर्माण/पुनर्निर्माण ।
- अम्बेडकर गांवों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण/पुन- निर्माण/मरम्मत ।
- नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित मार्गों का निर्माण कार्य ।
- मा० काशीराम शहरी गरीब आवासों के पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।
- निर्दिष्ट किये गये आवश्यक कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण ।
- निरीक्षण ग्रहों एवं सर्किट हाउस का विस्तार एवं रखरखाव ।
- जनपदों में जिला प्रशासन के अनुरोध पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन पर जन सम्बोधनों हेतु बैटिकेडिंग, मंचों तथा हैलीपैड का निर्माण ।
- समय - समय पर निर्दिष्ट की गई विशेष परियोजनाओं के कार्य ।
- राज्य के अधीन विभिन्न मार्गों पर स्थित पुलों एवं फेरीस टोल टैक्स की वसूली सम्बन्धी कार्य वर्तमान में पुलों पर प्रदेश शासन द्वारा टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया है।
- शासन व प्रशासन के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य ।
- अन्य सिविल कार्यों से जुड़े विभागों के लिये तकनीकी जानकारी हेतु नोडल एजेन्सी का कार्य ।
- भारत सरकार के अन्तर्गत मार्ग परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रदेश की सीमा में राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण, सुधार व रखरखाव का कार्य ।
- विश्व बैंक पोषित योजना से सम्बन्धित मार्गों/पुलों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के शासन स्तर पर संगठनात्मक ढांचा

- लोक निर्माण विभाग के शासन स्तर पर वर्तमान में एक प्रमुख सचिव, एक सचिव, चार विशेष सचिव, दो संयुक्त सचिव, दो उपसचिव, दो अनु सचिव, तथा चौदह अनुभाग अधिकारी हैं व एक लेखाधिकारी कार्यरत है।
- अनुभाग 1 से अनुभाग 14 प्रत्येक में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टंकक एवं अनुसेवक तैनात हैं।